## मि. सं. 29-30/20**2**2-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन, आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली—110012 दिनांक: निसंतंबर, 2022

सेवा में,

Sh. Goutam Mandal AT, PO Ramanagar, PS Jamboomarine Distt. Kendrapara, Ramnagar-754224 (Odisha).

Email: goutammandal992@gmail.com

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति—विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री० गौतम मंडल, ओडीशा, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00060 दिनांक 11.08.2022)

महोदय.

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम **2005** के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

	निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-				
कम स.	मॉगी गई जानकारी	जवाब			
1.	How much money has been sent to	Under ATMA Scheme, funds are released to States for both			
	each state for friends under ATMA	activity and manpower support as per approved work plan under			
	yojana by the Centre. And ever	the Scheme.			
	read. All that information should	During the current financial year i.e., 2022-23, an allocation of			
e =	be provided.	Rs. 710.96 crores (Centre Share) has been made and Rs. 66.78			
		crore has been released to 12 States so far (including Rs. 10.75			
		crore to State Government of Odisha). Statement showing			
		State-wise/UT-wise details of release of funds (Gol Share) is as			
	Contraction Contraction Contraction	under:			
		S.No.	State/UTs	Release (Rs. in Lakh)	
-		1.	Chhatisgarh	Rs. 437.80 lakh	
		2	Himachal Pradesh	Rs. 387.50 lakh	
		3.	Jharkhand	Rs. 528.17 lakh	
		4.	Kerala	Rs. 344.25 lakh	
		5.	Maharashtra	Rs. 834.99 lakh	
		6.	Madhya Pradesh	Rs. 1000.00 lakh	
n		7.	Odisha	Rs. 1075.00 lakh	
		8.	West Bengal	Rs. 1050.00 lakh	
		9.	Assam	Rs. 475.00 lakh	
		10.	Meghalaya	Rs. 149.52 lakh	
		11.	Nagaland	Rs. 312.75 lakh	
		12.	Sikkim	Rs. 83.47 lakh	
			TOTAL:	6678.15 lakh	
2.	Some states have been included in	Since the Scheme implementation is in the domain of the State			
	the ATMA Scheme, And how many	Governments, applicant is advised to seek farmer's data from			
of the same	farmers are there in that state.	the concerned States/UTs.			

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् हैं :—

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार), विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या 216, कृषि विस्तार भवन, आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली—110 012, दूरभाष:— 011—25847660 व ई—मेल पता:—shailesh.mishra29@gov.in

(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)

दूरभाष:- 011.25846467

ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

## प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

अनुभाग अधिकारी ( आर.टी.आई ), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को

विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।